aglasem.com

FOR HARYANA CLASS 11 PREPARATION

HBSE Class 11 Sample Paper 2027 Business Study Marking Scheme

EXAM	YEAR	TYPE	SUBJECT
Haryana Class 11	2027	Answer Key	Business Studies

MARKING SCHEME
CLASS-XI
BUSINESS STUDIES
2026-27

Que No	Suggested Answers	Marking Scheme
1	(बी) जेनेवा (B) Geneva	1
2	(सी (सेल्यूलर कंपनियां (C) Cellular Companies	1
3	(डी (दो देशों (D) Two Countries	1
4	(ए (जनता (A) The Public	1
5	(ए (जननिक उद्योग (A) Genetic Industry	1
6	(बी (फुटकर व्यापारी (B) Retailer	1
7	(डी (उपरोक्त सभी (D) All of the above	1
8	(सी (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (C) Reserve Bank of India	1
9	(सी (ध्वनि प्रदूषण C Noise Pollution	1
10	(सी (अप्रत्यक्ष व्यापार (C) Indirect Trade	1
11	(बी (वस्तु एवं सेवा कर (B) Goods & Service Tax	1
12	(ए (सरकारी कंपनी	1

aglasem.com For more Question Papers, Sample Papers, Notes & Syllabus visit aglasem.com

	(A) Government Company	
13	(ए (अभिकथन(A) व कारण(R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या है। (A) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is the correct explanation of Assertion (A).	1
14	(ए (अभिकथन(A) व कारण(R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या है। (A) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is the correct explanation of Assertion (A).	1
15	जीवन बीमा Life Insurance	1
16	लागत, बीमा व भाड़ा Cost, Insurance & Freight	1
17	दुकानदार द्वारा क्रय एवं विक्रय करना Purchase & Sale by a shopkeeper	1
18	1करोड One crore	1
19	बीजक Invoice	1
20	अधिक More	1
21	व्यवसाय की कर्मचारियों के प्रति कोई तीन उत्तरदायित्व: i. सही ढंग की कार्य दशाएं प्रदान करना ii. श्रमिकों को उचित वेतन देना iii. कार्य के सुअवसर प्रदान करना iv. श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार करना Responsibilities of business towards employees: i. Providing decent working conditions ii. Pay fair wages to employees iii. Providing opportunities to the workers for meaningful work. iv. Treating workers fairly	(1x3) (1 अंक प्रत्येक बिंदु के लिए) (1 mark for each point)

22	इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं: i. स्वचालित टेलर मशीन (ए.टी.एम.) ii. क्रेडिट कार्ड iii. डेबिट कार्ड Electronic banking Services: i. Automatic Teller Machine (A.T.M.) ii. Credit Card iii. Debit Card	(1 अंक प्रत्येक बिंदु के लिए) (½ mark for the heading+½ mark for the explanation)
23	थोक व्यापार से अभिप्राय ऐसी व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से क्रय करके फुटकर विक्रेताओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। थोक व्यापार की विशेषताएं: 1. थोक व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है। 2. वह कुछ विशेष वस्तुओं में ही व्यापार करता है। It refers to that type of trade under which goods or services are bought in bulk from producers and are sold in small quantities to the retailers. Features of Wholesale Trade: 1. Wholesaler purchases goods in large quantities. 2. He deals only in certain items.	1 mark for definition and 1 mark for each feature
24	साझेदारी के वैधानिक लक्षण: 1. साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 2. साझेदारी का व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। 3. साझेदारी का महत्वपूर्ण लक्षण है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना। Statutory Features of Partnership: 1. A minimum of two persons are required to start a partnership. 2. Partnership business must be legal. 3. An important feature of partnership is that the objective of the business is to earn profit. or एकाकी स्वामित्व के लक्षण: 1. एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। 2. एकाकी व्यापार का स्वामी हि अक्सर प्रबंधक का कार्य भी करता है। 3. एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। Proprietorship Features of Sole:	(1x 3) (1x 3)

	1. A sole proprietorship is owned by a single person. 2. A sole business owner often also serve as a manager. 3. The liability of a sole proprietorship is unlimited.	
25	विभागीय उपक्रम: विभागीय उपक्रम ऐसे सार्वजनिक उपक्रम है जिसका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्री के निर्देशन में किया जाता है। विभागीय उपक्रम की विशेषताएं: 1. इसकी स्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। 2. इन उपक्रमों पर अनिवार्य पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है। Departmental Undertaking: Departmental Undertaking is a public undertaking which is operated as a government department under the direction of the concerned minister. Features of Departmental Undertaking: 1. It is established by the government as a government department. 2. There is mandatory full government ownership of these deeds. Or बहुराष्ट्रीय कंपनी: बहुराष्ट्रीय कंपनी एसी कंपनी है जिसका पंजीयन किसी एक देश में होता है लेकिन वह माल का उत्पादन एवं विक्रय अनेक देशों में करती है। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं: 1. बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। 2. बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है। Multi-Company National: A Multi-national company is a company which is registered in one country but it produces and sells goods in many countries. Features of Multi-national Company: 1. The business of a multi-national company is spread across many countries. 2. Multinational company has to face competition at	1 mark for definition and 1 mark for each point 1 mark for definition and 1 mark for each point

	global level.	

26	स्थानापन्न प्रविवरण : प्रविवरण के माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। यदि एक कंपनी जनता को अंश , ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वह प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करती है स्थानापन्न प्रविवरण को प्रविवरण के स्थान पर रजिस्टार आफ कंपनी के पास जमा करवाया जाता है इसमें उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो कि प्रविवरण में होती है Statement in Lieu of Prospectus: A prospectus is a legal document that a corporation publishes to invite the public to subscribe to its shares and debentures. When a company does not offer its securities for public subscription, it issues a statement in lieu of prospectus. When a firm does not submit a prospectus to the public in order to invite them to subscribe for shares, a Statement in Lieu of Prospectus is submitted with the Registrar of Companies (ROC). It's comparable to a prospectus, except it's only a few pages long. or प्रविवरण से अभिप्राय उसे प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। प्रविवरण के उद्देश्य: 1. अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। 2. उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है। 3. इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदाई है। Prospectus means a document on which mentions all the hrough this the informations related to issue and company invites the public to apply for shares, debentures etc. Objectives of Prospectus: 1. Invite the public to buy the shares and debentures. 2. Giving details of the conditions on which the public are to be invited to purchase shares and debentures 3. The directors of the company are responsible for the things written in the prospectus.	3 marks 1 mark for definition and 1mark for each point
27	ई–व्यवसाय : ई–व्यवसाय से अभिप्राय सभी औद्योगिक तथा वाणिज्य क्रियो को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पूरा करना है। E-Business refers to conducting all the industrial and	1 mark for definition and 1 mark

	commercial activities through computer network(Internet). ई–व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय में अंतर i. स्थापना ii. शारीरिक उपस्थिति iii. स्थापना की लागत iv. व्यवहार में लगने वाला समय आदि के आधार पर अंतर Differences between e-business and traditional business: i. Establishment ii. 24x7 availability ii. Physical presence iii. Cost of establishment iv. Difference in transaction time etc.	for each point
28	व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य: 1. उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर 2. समाज के विकास में योगदान 3. विनियोग को को पर्याप्त लाभ 4. रोजगार उपलब्ध कराना Social objectives of business: 1. High quality goods at fair prices 2. Contribution to community Development 3. Fair return to Investors 4. Providing Employment	(1x4) (1 अंक प्रत्येक बिंदु के लिए) ½ Mark for heading, ½ mark for explanation

29	(A) अधिकार समर्पण के सिद्धांत: इसका अभिप्राय है कि जब बीमाकर्ता किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देता है तो बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी अधिकार बीमा कर बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने अपने मकान का बीमा करवाया और मकान आग से पूरी तरह नष्ट हो गया तो कंपनी बीमा धारी को अग्नि बीमा की संपूर्ण राशि का भुगतान करेगी और मकान के अवशेषों पर बीमा कंपनी का अधिकार होगा। (B) निकटतम कारण का सिद्धांत: इसका अभिप्राय यह है कि हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए हानि के निकटतम कारण को देखा जाता है, ना कि दूरस्थ कारण को। उदाहरण के लिए मुद्री जानवर टक्कर मार मार कर जहाज में छेद कर देते हैं इस क्षति का निकटतम कारण जहाज में पानी का भरना है। (A) **Principle of Subrogation**: It means that when the insurer pays a claim relating to a loss, all the rights relating to the subject matter of insurance are transferred to the insured. For example, if a person has insured his house against fire and in case of loss due to fire the entire amount of fire insurance has been paid to the owner, the insurance company will have rights over the residuals and the remains of the house. (B) **Principle of Causa Proxima**: It means that the proximate cause of the loss and not the remote cause is looked into in order to fix the responsibility for the loss. For example, marine animals hit and punch holes in a ship. The proximate cause of this damage is the water in the ship. Or इंटरनेट के लाभ: 1. संप्रेषण में सहायक 2. मनोरंजन में सहायक 3. ई-कॉमर्स में सहायक 4. भुगतान में सहायक Benefits of Internet: 1. Helpful in Communication 2. Helpful in Entertainment 3. Helpful in E-Commerce 4. Helpful in Payment	2 marks for each point Any 4 points ½ mark for heading & ½ mark for detail

30	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर: i. क्रेता विक्रेता की राष्ट्रीयता ii. उत्पादन के साधनों की गतिशीलता iii. बाजार में ग्राहकों की प्रकृति में भिन्नता iv. भिन्न व्यापार प्रणालियां v. मुद्रा में भिन्नता vi. जोखिम आदि के आधार पर अंतर Difference between Domestic and International Trade: i. Nationality of buyer and seller ii. Mobility of the means of production iii. Variation in the nature of customers in the market iv. Different trade systems v. Currency variation vi. Difference on the basis of risk etc. or विश्व व्यापार संगठन : विश्व व्यापार संगठन गैट का स्थान लेने वाला विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापार संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई दृष्टि व अधिक शक्तियां लिए हुए हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य: 1. विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य नए विश्व व्यापार समझौते को लागू करना है 2. विश्व व्यापार संगठन बहूपक्षिय व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है WTO: World Trade Organisation is a new globally recognized trade organization with the new name succeeding GATT having a new vision and more power to promote international trade. Objectives of WTO: 1. The primary objective of the WTO is to implement the new world trade organization. 2. World Trade Organisation wants to promote multilateral trade.	(1x4) any 4 points 2 marks for definition and 1 mark for each point.

31	सार्वजनिक जमा – जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। सार्वजनिक जमा के निम्न लाभ हैं– (क) जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है एवं किसी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं होतीं जैसी कि साधारणत: ऋण अनबुंधों में होती हैं। (ख) सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओ से ऋण की लागत से कम होता है। Public Deposits The deposits that are raised by organisations directly from the public are known as public deposits. Merits :The merits of public deposits are: (i) The procedure of obtaining deposits is simple and does not contain restrictive conditions as are generally there in a loan agreement; (ii) (ii) Cost of public deposits is generally lower than the cost of borrowings from banks and financial institutions;	2 marks for definition and 1 mark for each point
32	लघु व्यवसाय का अभिप्राय ऐसी व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व संचालन स्वतंत्र रूप से होता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी या उपकरणों में विनियोग की अधिकतम सीमा एक करोड़ से अधिक और 10 करोड रुपए तक है और वार्षिक टर्नओवर की अधिकतम सीमा 5 करोड़ से अधिक तथा 50 करोड रुपए तक है ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों की भूमिका: 1. अधिक रोजगार 2. आर्थिक मजबूती 3. कारीगरों के लिए अवसर 4. जीवन स्तर में सुधार Small Business means a business that is independently owned & operated, In which the maximum limit of Investment in Plant & Machinery or Equipment is more than Rs.1 Crore and up to Rs. 10 Crore. And the maximum limit of annual turnover is more than Rs. 5 Crore and up to Rs. 50 crore. Role of Small scale Business in India: 1. More Employment 2. Economic Strength 3. Opportunity for Artisan	2 marks for definition and 1 mark for each point ½ for heading and ½ for explanation

	4. Promotion of standard of living or उद्यमिता किसी अन्य आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने से अलग अपना व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है, चाहे वह रोज़गार हो या किसी पेशे को चलाना हो। उद्यमिता की विशेषताए: 1. व्यवस्थित गतिविधि– उद्यमिता एक रहस्यमय उपहार या आकर्षण और कुछ ऐसा नहीं है जो सं योग से होता है! यह एक व्यवस्थित, चरण-दर-चरण और उद्शद्येपर्ण ू गतिविधि है। 2. वैध और उद्देश्यपर्ण ू गतिविधि– उद्यमिता का उद्देश्य वैध व्यवसाय है। 3. नवाचार– फर्म के दृष्टिकोण से, नवाचार लागत कम करने वाला या राजस्व बढ़ाने वाला हो सकता है। 4. जोखिम उठाना– सामान्यता यह माना जाता है कि उद्यमी उच्च जोखिम उठाते है। Entrepreneurship is the process of setting up one's own business as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or practicing some profession. Features of Entrepreneurship: 1. Systematic Activity: Entrepreneurship is not a mysterious gift or charm and something that happens by chance! It is a systematic. 2. Lawful and Purposeful Activity: The object of entrepreneurship is lawful business. 3. Innovation: From the point of view of the firm, innovation may be cost saving or revenue-enhancing. 4. Risk-taking: It is generally believed that entrepreneurs take high risks.	2mark for definition and 1 mark for each point
33	अंश कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं जो कंपनी में स्वामित्व का प्रमाण पत्र होते हैं। ऋणपत्र कंपनी की मुद्रा के अंतर्गत निर्मित किया गया ऋण की स्वीकृति का लिखित निर्माण होता है। अंश एवं ऋणपत्र में अंतर: i. कंपनी से संबंध ii. प्रतिफल iii. प्रबंध में भाग iv. कर लाभ v. वापसी का क्रम आदि के आधार पर कोई पांच अंतर	(1+5) any five differences

	A share form part of the capital of a company and is a certificate of ownership in the company. A debenture is a written instrument of acceptance of a loan drawn up under the common seal of the company. Difference between share and debenture: i. Relationship with company ii. Return/Reward iii. Participation in management iv. Tax benefits v. Refund of amount invested etc. or पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार 1. सचंयी एवं असचंयी– जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता और अदत्त लाभां श भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है, उन्हें सचयं पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरी ओर, असंचयी पूर्वाधिकार अंशों पर यदिकिसी वर्ष लाभां श नहीं दिया जाता तो यह आगामी वर्षों के लिए जुड़ता नहीं है। 2. भागीदारी एवं अभागीदारी– जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अशधारकों को एक निश्चित दर से लाभां श का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के अधिक लाभ में भागीदारी का अधिकार होता है, उन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको कंपनी के लाभों में इस प्रकार की भागीदारी का अधिकार नहीं होता। 3. परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय– जिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित समय में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दसरी ओर, गैर-परिवर्तनीय अंश समता अंशों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। Types of Preference Shares 1. Cumulative and Non-Cumulative: The preference shares which enjoy the right to accumulate unpaid dividends in the future years, in case the same is not paid during a year are known as cumulative preference shares. On the other hand, on non-cumulative shares, dividend is not accumulated if it is not paid in a particular year. 2. Participating and Non-Participating: Preference shares which have a right to participate in the further surplus of a company shares which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares are called	2 marks for each point

	participating preference shares. The non-participating preference is such which do not enjoy such rights of participation in the profits of the company. 3. Convertible and Non-Convertible: Preference shares that can be converted into equity shares within a specified period of time are known as convertible preference shares. On the other hand, non-convertible shares are such that cannot be converted into equity shares.	
34	पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। यह कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। पार्षद सीमा नियम में छह प्रमुख वाक्य होते हैं: i. नाम वाक्य ii. स्थान वाक्य iii. उद्देश्य वाक्य iv. दायित्व वाक्य v. पूंजी वाक्य vi. संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य Memorandum of Association is called as the Charter of the Company. This is the main document of the company without which the registration of the company is not possible. M/A consists of six key clauses:	(1+5) ½ mark for each point & ½ mark for explanation

i. Name Clause
ii. Place Clause
iii. Object Clause
iv. Liability Clause
v. Capital Clause

Association & Subscription Clause

अथवा

Or

पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम में अंतर

आधार	पार्षद सीमा नियम	पार्षद अतं र्नियम
उद्देश्य	सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं।	अतं र्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबं ध के नियम होते है।
स्थिति	यह कंपनी का मुख्य प्रलेख है तथा कंपनी अधिनियम के अधीन है।	यह सहायक प्रलेख है तथा सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम के दोनों के अधीन है।
सं बं ध	सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से सं बं ध निश्चित करता है।	अतं र्नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक सबं धों को परिभाषित करता है।
बाध्यता	सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से भी अनमुोदित नहीं हो सकता।	अं तर्नियम के बाहर के कार्यों की अं शधारी अनमुोदित कर सकते हैं।
आवश्यकता	प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना अनिवार्य है।	अतं र्नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है।
परिवर्तन	पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।	पार्षद अंतर नियम में विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।

Difference between Memorandum of Association and Articles of Association

1 mark for each difference

1

Basis of Difference	Memorandum of Association	Articles of Association
Objectives	Memorandum of Association defines the objects for which the company is formed.	Articles of Association are rules of internal management of the company. They indicate how the objectives of the company are to be achieved.
Position	This is the main document of the company and is subordinate to the Companies Act.	This is a subsidiary document and is subordinate to both the Memorandum of Association and the Companies Act.
Relationship	Memorandum of Assosiation defines the relationship of the company with outsiders.	Articles define the relationship of the members and the company.
Validity	Acts beyond the Memorandum of Association are invalid and cannot be ratified even by a unanimous vote of the members.	Acts which are beyond Articles can be ratified by the members, provided they do not violate the Memorandum.
Necessity	Every company has to file a	It is not compulsory for

1

	Memorandum of Association.	a public ltd. company to file Articles of Association. It may adopt Table F of The Companies Act, 2013
Alteration	Memorandum of association cannot be easily altered	Article of association can be altered by a special resolution

1

35

निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर

आधार	सार्वजनिक कंपनी	निजी कंपनी
सदस्य	न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नही	न्यूनतम 2, अधिकतम 200
निदेशकों की न्यूनतम संख्य	3	2
सदस्यों की अनुक्रमणिका	अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।
अशों का हस्तांतरण	हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।	हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।
अशों के क्रय हेतु जनता को आमत्रण	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय हेत जनता को आमत्रिंत कर सकती है।	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।

1 Mark for each point

Difference between a Public Company and Private Company

Basis	Public company	Private company
Members	Minimum - 7 Maximum - unlimited	Minimum - 2 Maximum - 200
Minimum number of directors	Three	Two
Index of members	Compulsory	Not compulsory
Transfer of shares	No restriction	Restriction on transfer
Invitation to public to subscribe to shares	Can invite the public to subscribe to its shares or debentures	Cannot invite the public to subscribe to its securities

अथवा

Or

कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अलग अस्तित्व होता है इसका स्थाई अस्तित्व होता है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है

कंपनी की विशेषताएं:

<u>अविछिन्न उत्तराधिकार</u>:

कंपनी का जीवन व्यवसायिक संगठन के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक

	स्थाई होता है। इस पर सदस्यों के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन केवल अधिनियम के द्वारा ही हो सकता है। कंपनी के अस्तित्व के बारे में कहा गया है कि: "Members may come, Members may go, But the Company goes on forever" <u>सीमित दायित्व</u>: कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक सीमित होता है। केवल गारंटी द्वारा सीमित या असीमित दायित्व वाले कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी को बहुत अधिक हानि होने की दशा में भी अंशधारियों से केवल उनके अंशों की बकाया राशि ही मंगवाई जा सकती है। <u>कृत्रिम व्यक्ति</u>: कंपनी को कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि कंपनी व्यक्तियों की भांति प्रलेखों पर हस्ताक्षर कर सकती है और अपने नाम में संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन मनुष्यों की भांति यह जीवित नहीं रहती इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। <u>पृथक अस्तित्व</u>: कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने सदस्यों पर दावा भी प्रस्तुत कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व मिल जाता है। Company is an artificial person created by law having seprate legel entity with a perpetual succession and common seal. :<u>Features of Company</u> **Perpetual Succession**: The life of a company is the most permanent of all forms of business organization. It is not affected by the entering or leaving of members. Being a legal person, the company can be wound up only by an act. The existence of the company is said to have: "Members may come, Members may go, But the Company goes on forever" **Limited liability:** The liability of the shareholders in the company is limited to the value of the shares purchased by them. Except in the case of a company limited by guaranteed or unlimited liability company. Even in the case of huge loss to the company, only the outstanding amount of their shares can be called from the shareholders.	(2+4)

	Artificial person: A company is considered to be an artificial legal person as the company can sign documents and hold property in its name like a person. But it does not survive like humans; hence it is called an artificial person. **Separate existence:** The existence of a company is separate from that of its members. The company can also file a case against its members. After registration the company gets a separate legal entity. 	